RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Civil First Appeal No. 41/1996
CNR: RJHC010072981996 | URN: CFA / 61U / 1996

Mangi Lal S/o Ramlal Sharma, R/o 5 ka, 45, Ramsingh ji Ki Bari, Hiran Magari, Sector-11, Udaipur.

----Appellant

Versus

Life Insurance Corporation of India, through Senior Divisional Officer, Life Insurance Corporation, Jeevan Prakash, Ranade Marg, Ajmer.

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 181/1995
CNR: RJHC010014111995 | URN: CFA / 248U / 1995

Life Insurance Corporation of India, through Senior Divisional Officer, Life Insurance Corporation, Jeevan Prakash, Ranade Marg, Ajmer.

----Appellant

Versus

Mangi Lal S/o Ramlal Sharma, R/o 5 ka, 45, Ramsingh ji Ki Bari, Hiran Magari, Sector-11, Udaipur.

----Respondent

For their respective parties	:	Mr. Deelip Kawadia Mr. J.L. Purohit Mr. Rajeev Purohit

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

Arguments Concluded & Order Reserved on 29/10/2026
Full order Pronounced

Date of Pronouncement/11/2026

01. अपीलार्थी–वादी मांगीलाल द्वारा अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या–1, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.1995 में ब्याज की राशि जो 6 प्रतिशत दिलाई उसे 12 प्रतिशत दिलाए जाने बाबत की गई है एवं एल.आई.सी. द्वारा क्रोस अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.1995 को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी–वादी मांगीलाल द्वारा एक वाद–पत्र जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर में इस आशय का पेश किया कि उसकी धर्मपत्नी नन्दूबाई ने प्रतिवादी के ब्रांच ऑफिस चित्तौड़गढ़ में जीवन की जोखिम हेतु तीन पॉलिसी ली, जो दिनांक 28.5.1986 को 40,000, 28.7.1986 को 35,000 और 28.6.1987 को 50,000, कुल 1,25,000 रुपये की थीं, जिनका प्रीमियम का भुगतान श्रीमती नंदू बाई के जीवन काल में किया गया। वादी तीनों पॉलिसी में अधि

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)

कृत नॉमिनी है और वादी की पत्नी की मृत्यु 14.8.1989 को होने के उपरांत तीनों पॉलिसी के आधार पर 1,25,000/– व बोनस के कुल 1,52,150/– प्राप्ति हेतु क्लेम पेश किया।

03. वादी–अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र में अंकित किया कि प्रतिवादी द्वारा यह कहकर रकम देने से मना कर दिया कि वादी की पत्नी द्वारा डॉक्टरी मुआयना के वक्त गलत तथ्य बताए गए थे, जबकि वादी की पत्नी द्वारा सही तथ्य बताए गए थे, कोई तथ्य छुपाया नहीं, सही तथ्यों को छुपा भी नहीं सकती थी। दिनांक 14.8.1989 से 31.12.1990 तक का ब्याज राशि 25,104.75 रूपये, 12 प्रतिशत सालाना के हिसाब से दिलाए जाने का निवेदन वाद पत्र में किया। अंत में विभिन्न आधार वर्णित करते हुए 1,77,254.75 रूपये बीमा व बोनस मय ब्याज की रकम की डिग्री प्रदान किए जाने और दायरी दावा से तावसूली रकम 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दिलाए जाने हेतु निवेदन किया। वाद–पत्र कालांतर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 के समक्ष स्थानांतरित किया गया।

04. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि चूंकि इंश्योरेंस एक्ट के अनुसार अनुबंध 'Uberrimae fide' होते हैं, प्रपोजल के उन सभी तथ्यों को उचित व सही मानते हुए पॉलिसियों के प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे। प्रीमियम का भुगतान किए जाना स्वीकार किया और श्रीमती नंदू बाई की पॉलिसीज धारा 45 इंश्योरेंस एक्ट के तहत Repudiate की गई थी, जिसका आधार यह था कि स्वीकृतिकर्ता को सही तथ्यों की जानकारी नहीं थी, जबकि प्रपोजर का दायित्व था कि सही तथ्यों की जानकारी देते, सही–सही तथ्य छुपाए गए। जब प्रश्न क्रमशः 17ए, 18जी, 20, 9 व 8 के बाबत जानकारी चाही तो सही तथ्यों पर इंकार किया, जो इन्वेस्टिगेशन के समय सही नहीं पाए गए। यदि श्रीमती नंदू बाई द्वारा सही उत्तर दिया जाता तो बीमा पॉलिसी देने व न देने पर विचार किया जाता, इस प्रकार जीवन बीमा निगम के साथ फ्रॉड किया गया है, अंत में विभिन्न आधार वर्णित करते हुए वाद पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए:–

> 01. क्या प्रतिवादी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जवाब दावें में लिये गये अभिवचनों के अनुसार स्वर्गीय श्रीमती नन्दू बाई ने तीनों पॉलिसीज के प्रपोजल भरते समय अपने स्वास्थ्य के बारे में मिथ्या व्यपदेशन किया और स्वास्थ्य के बारे में तात्विक प्रकार के तथ्यों छुपा कर कपट पूर्वक ईतलाएं दी?
>
> 02. क्या श्रीमती नन्दू बाई द्वारा धारित की गई तीनों पॉलिसीज को इन्श्योरेन्स अधिनियम की धारा–45 के अधीन निराकृत करने का अधिकार प्रतिवादी भारतीय जीवन बीमा निगम को हो गया था और जो

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)

तीनों पॉलिसीज को निराकृत किया गया है, वह सही है तथा इस वाद पर इसका क्या असर है?

03. क्या वादी 1,52,150/–रूपये तीनों पॉलिसीज के संबंध में जैसा कि वाद–पत्र के पेरा सं. 6 में वर्णित है, पर ब्याज की रकम रू–25,104.25.75 पैसा कुल 1,77,254.75 रूपये प्रतिवादी से पाने का हकदार है?

04. अनुतोष।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

06. दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 26.9.1995 के द्वारा वादी–अपीलार्थी मांगीलाल का वाद 1,64,702/– रूपये के लिए डिक्री किया और वाद संस्थित होने की तारीख 10.01.1991 से वसूली तक उक्त राशि पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से ब्याज दिलाए जाने का आदेश दिया गया।

07. अपीलार्थी मांगीलाल द्वारा अपील विवाद्यक संख्या 3 में जो 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज के स्थान पर 6 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज राशि रुपये 12,552/– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिलाई गई, उससे व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है और 12,552/– से डबल राशि 12 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज की दिलाए जाने की मुख्य रूप से अपील में प्रार्थना की है।

08. क्रॉस अपील एलआईसी की ओर से प्रस्तुत कर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के द्वारा विवाद्यक संख्या 1 से 3 जो बीमा कंपनी के विरूद्ध निस्तारित किए गए, उसको चुनौती दी गई है और तथ्य छुपाए जाने के कारण क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना अपनी अपील में निवेदन किया है और अपील स्वीकार कर निर्णय और डिक्री निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

09. बहस अपील सुनी गई।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेरा ध्यान स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स टेबल 74 की ओर आकर्षित करते हुए 1985–86, 1986–87 व 1987–88 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रमशः 11, 11, 10 प्रतिशत वार्षिक होना बताया व अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए :–

01. MANU/SC/0113/1997 The United India Insurance Co. Ltd. Vs. M.K.J. Corporation Decided on 21-08-1996,

02. MANU/PH/0769/1998 Veena Sharma Vs. Life Insurance Corporation of India and Ors. Decided on 30-11-1998,

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)

03. MANU/UP/0311/1998 Susheel Kumar Vs. LIC of India and Ors, Decided on 10-04-1998,

04. MANU/RH/0203/2000 Santosh Kumar Gupta Vs. India Life Insurance Corporation Decided on 11-04-2000.

11. एल.आई.सी. के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय साक्ष्य एवं विधि पर आधारित नहीं होना बताते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि बीमा पॉलिसी के वक्त मृतका द्वारा सही तथ्य छुपाए इस कारण से कोई क्लेम राशि नहीं दी जा सकती और ब्याज का जहां तक प्रश्न है, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अत्यधिक है, पक्षकार की ओर से जो 12 प्रतिशत ब्याज क्लेम किया गया है, उस हद तक अपील खारिज किए जाने योग्य है और बीमा कम्पनी की अपील स्वीकार कर निर्णय व डिक्री भी निरस्त किए जाने योग्य है और अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

01. 2021 (13) SCC 553 Branch Manager, Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd. Vs. Dalbir Kaur Decided on 09-10-2020,

02. 2023 (8) SCC 362 National Insurance Co. Ltd. Vs. Harsolia Motors And Others, Decided on 13-04-2023.

12. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अध्ययन किया।

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

13. इस मामले में विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय को बीमा कंपनी द्वारा चैलेंज किया गया है। विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार प्रतिवादी बीमा कंपनी पर था, जो साक्ष्य प्रतिवादी बीमा कंपनी की ओर से पेश की गई उसका विस्तृत विवेचन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया है।

14. अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में महत्वपूर्ण गवाह डी. डब्ल्यू–1 डी.एस. कोठारी एवं डी.डब्ल्यू–2 डॉ. एस.ए. कुरैशी हैं, जिनकी साक्ष्य पर विचार किया गया और इन दोनों गवाहों से की गई जिरह इस मामले में महत्वपूर्ण है।

15. गवाह डी.डब्ल्यू–1 द्वारा जिरह में यह कहा कि श्रीमती नंदूबाई के प्रस्ताव उन्होंने नहीं भरे थे लेकिन एजेंट की दुकान पर उन्हें वेरीफाई किए थे। उन्होंने श्रीमती नंदूबाई से यह पूछा था कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है तो उन्होंने नहीं होना बताया। बाकी सारे प्रश्न भी रिपोर्ट में हैं, वे सारे प्रश्न पूछे थे। गले में थायराइड्स की जगह

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)

कपड़ा ओढ़ रखा था। साक्षी ने मेडिकल के बारे में पूछा था कि आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई बीमारी तो नहीं है तो नहीं होना जाहिर किया। गले में नंदूबाई ने साड़ी ओढ़ी हुई थी। इस तथ्य को गलत बताया कि साड़ी ओढ़ने के बाद भी थायराइड के ऑपरेशन के निशान दिखाई दे रहे हों। धाकड़ साहब ने प्रपोजल का फॉर्म साक्षी के सामने ही भरा था। मेडिकल के बारे में देखने की ड्यूटी एजेंट की नहीं होती मेडिकल ऑफिसर की होती है।

16. गवाह डी.डब्ल्यू–2 डॉ. एस.ए. कुरैशी ने अपने जिरह में कहा कि मेडिकल करवाने लाए तब उस समय एजेंट भी उपस्थित था। एजेंट जो प्रपोजल फॉर्म भरता है वह प्रश्न पूछता है, उस समय साक्षी उपस्थित नहीं था।

17. प्रदर्श 4 में एपिरियंस के कॉलम में साक्षी ने सारे हालात नंदूबाई को देखकर भरे थे। प्रदर्श 4 के कॉलम नंबर 2 में जो एपिरियंस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड को साक्षी ने नहीं देखा क्योंकि पल्लू डाल रखा था। स्मॉल पॉक्स आदि एपिरियंस को साक्षी ने देखा था, केवल थायराइड को ही साक्षी ने नहीं देखा क्योंकि नंदूबाई ने साड़ी का पल्लू ओढ़ रखा था। प्रदर्श 4 में यह प्रश्न स्पेसिफिक होते हुए भी साक्षी ने थायराइड्स को नहीं देखा था। नंदूबाई को साड़ी का पल्लू हटाने के लिए नहीं कहा था केवल यह पूछा था कि अंदर कोई बीमारी तो नहीं है तो नहीं होना बताया। केवल थायराइड्स की ही जांच नहीं की थी बाकी सभी का एग्जामिन किया था। इस तथ्य को गलत बताया कि थायराइड्स का भाग दिखाई दे रहा हो। यह स्वीकार किया कि गोपनीय रिपोर्ट के लिए थायराइड का भाग देखना आवश्यक था। इस तथ्य को गलत बताया कि नंदूबाई ने थायराइड्स के ऑपरेशन के बाबत बता दिया हो। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श 4 रिपोर्ट एलआईसी ने मान ली और नन्दुबाई का बीमा कर दिया। यह तथ्य गलत बताया कि नन्दुबाई ने ऑपरेशन को साक्षी से न छुपाया हो। यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ऑपरेशन वाली जगह को नहीं देखा, वैसे ही यह साक्षी के लिए जरूरी था। इस प्रकार इन दोनों गवाह की महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विचार किया गया।

18. दूसरी ओर पी.डब्ल्यू–1 के रूप में वादी की ओर से दी गई साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि थाइरॉइड्स के ऑपरेशन की बात नहीं छिपाई थी, ऑपरेशन का निशान बड़ा होने से सामने ही दिख रहा था। साक्षी ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी पढ़ी–लिखी नहीं थी, सिर्फ दस्तखत करना जानती थी। नन्दुबाई की मृत्यु अचानक गुर्दे फेल हो जाने से हुई थी।

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)

19. जिरह में भी गवाह ने कहा कि ऑपरेशन के बारे में उनसे पूछा गया था, फार्म उन्होंने नहीं देखा था। यह स्वीकार किया कि ऑपरेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में करवाया था।

20. इस मामले में जिस बीमा एजेंट द्वारा बीमा फार्म भरा गया था, उसको प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया। जब बीमा कंपनी के डॉक्टर की यह जिम्मेवारी थी कि थाइरॉइड्स का स्पेसिफिक रूप से जांच करें और फार्म प्रदर्श 4 में भी यह स्पष्ट रूप से प्रिंटेड है, उस अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि बीमा पॉलिसी से पूर्व मेडिकल वेरिफिकेशन के समय बीमा कंपनी के डॉक्टर द्वारा यह न देखा गया हो। केवल मात्र क्लेम नहीं देने के नियत से ही न्यायालय में थाइरॉइड्स के बारे में जांच नहीं करने का उल्लेख करना प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर इस विवाद्यक का निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में करने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक भूल नहीं की है। ऐसी अवस्था में विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 2</u>

21. जहां तक विवाद्यक संख्या 2 का प्रश्न है, जब विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय की पुष्टि की गई है, उस अवस्था में विवाद्यक संख्या 2, विवाद्यक संख्या 1 के अनुसार तथ्य छिपाने की अवस्था में ही धारा 45 का मामला बनता है। ऐसी अवस्था में तथ्य छिपाना इस मामले में कतई साबित नहीं होने से जो विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी के विरुद्ध किया गया है, उस निर्णय की भी पुष्टि की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 3</u>

22. बीमा कंपनी की ओर से विवाद्यक संख्या 3 में जो ब्याज राशि दिलाई है, उसे निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है और वादी की ओर से भी अपील प्रस्तुत कर जो ब्याज राशि 12 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत दिलाई, उसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

23. विवाद्यक संख्या 3 पर अब विचार किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी– वादी की ओर से जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की टेबल 74 पेश की गई, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट एफ.डी.आर. से संबंधित है, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए, 3 से 5 वर्ष तक के लिए और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए इंटरेस्ट रेट का उल्लेख किया गया है।

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

24. इस मामले में श्रीमती नन्दुबाई की मृत्यु 14.08.1989 को हुई। 14.08.1989 के पश्चात वाद पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष 10.01.1991 को पेश किया गया। बाद में न्यायालय के आदेशानुसार 28.10.1992 को जवाब–उल–जवाब के तमाम तथ्य अपने दावे में समावेशित करके नया समावेशित दावा पेश किया गया। ऐसी अवस्था में वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 10.01.91 तक के लिए ही मुख्य रूप से विवाद्यक संख्या 3 में ब्याज राशि दिलाई गई है। वर्ष 1988–1989, 1990 से 1991 के मध्य जो बैंक की सेविंग इंटरेस्ट की रेट थी, उसके समकक्ष ही ब्याज सामान्यतः दिलाया जा सकता है। कोई वाणिज्यिक ट्रांजेक्शन इस मामले में नहीं था। बाजार में प्रचलित ब्याज दर भी इस मामले में नहीं दिलाई जा सकती। अन्यथा भी बाजार की प्रचलित ब्याज दर क्या थी, इस बाबत कोई साक्ष्य वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई। ब्याज की जो राशि 6 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से दायरी दावा तक के लिए दिलाई गई, वह राशि इस मामले में पर्याप्त है। उसमें अभिवृद्धि किए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

25. ऐसी अवस्था में ब्याज वृद्धि के संबंध में जो आपत्ति विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में अपील में की गई है, वह आपत्ति अस्वीकार की जाती है और चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है और बीमा क्लेम प्रस्तुत करने के पश्चात भी बीमा कंपनी द्वारा राशि नहीं दी गई, उस अवस्था में जो 6 प्रतिशत ब्याज राशि दिलाई गई है, वह निर्णय विधिसम्मत है। ऐसी अवस्था में विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में किये गये निर्णय की भी पुष्टि की जाती है।

26. अतः पूर्व में किए गए विवेचन से विवाद्यक संख्या 1 से 3 की पुष्टि की गई है, ऐसी अवस्था में दोनों अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पुष्टि किए जाने योग्य हैं।

27. तदनुसार वादी–अपीलार्थी मांगीलाल व अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत अपीलें खारिज की जाती है एवं विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.1995 की पुष्टि की जाती है। पर्चा डिक्री कायम की जाए। निर्णय एवं डिक्री की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

Crt_11 (1841)
S-A/1-2
Mayank Rankawat

(Uploaded on 03/11/2026 at 12:54:00 PM)
(Downloaded on 04/11/2026 at 04:44:03 PM)